

दिनांक 12.08.2026 को जिलाधिकारी महोदय, बाँदा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत पर्याप्त विद्युत आपूर्ति व अन्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 12.08.2026 को जल जीवन मिशन के "हर घर जल, नल से जल" के अन्तर्गत जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन के तहत विद्युत आपूर्ति व अन्य कारणों से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बाँदा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति व अन्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न बाधाओं के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय, बाँदा द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये :-

1. खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत विद्युत आपूर्ति सम्बन्धित बिन्दु :-

- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बाँदा में खटान ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत मुर्सीवा सब स्टेशन से जुड़े हुए 05 नग सी०डब्ल्यू०आर० (बीरा, पछौंहा, बीनामऊ, औदहा एवं कमासिन) हैं। नमामि गंगे की स्वतंत्र फीडर की लाइन से ग्रामीण की लाइन एवं प्राइवेट ट्यूबवेल जुड़े होने के कारण **फॉल्ट की समस्या** आती रहती है जिससे पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है जिस कारण 43 ग्राम में पेयजलापूर्ति बाधित रहती है, जिस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बाँदा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वतंत्र फीडर लाइन को ग्राम के निजी नलकूप संयोजन एवं ग्रामीण कनेक्शन से विच्छेद कर 01 माह के भीतर किसी अन्य ट्रान्समिशन लाइन से संयोजित किया जाए तथा रोस्टिंग का समय संशोधित करते हुए 24 घण्टे की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फीडबैक लिया जाएगा।
- योजनान्तर्गत निर्मित जल शोधन संयंत्र के संचालन के दौरान लो वोल्टेज से सम्बन्धित समस्या के समाधान हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बाँदा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जाए तथा CT/PT Termination Kit का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल) द्वारा अवगत कराया गया कि जामू सब-स्टेशन द्वारा बमरौला सानी एवं मझीवां सानी पम्पहाउस को स्वतंत्र विद्युत रेखा से संयोजित करने हेतु 10 दिवस में वित्तीय प्रस्ताव आवेदन प्रारम्भ होगा तथा उसके उपरान्त 01 माह के भीतर कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।
- खुरहण्ड फीडर मेन से संयोजित पम्प हाउस पर वॉल्टेज स्टेबिलाइजर अधिष्ठापित करने हेतु कार्यदायी फर्म को निर्देश दिए गए तथा अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०) जल निगम ग्रामीण को उसके भुगतान की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता से वार्ता कर कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए।
- आऊ, सिकलोढ़ी, शाहपुर सानी, बाघा,, जरोहरा, नंदनमऊ पम्पहाउस में लो वोल्टेज के समाधान हेतु अधिशासी अभियन्ता (दक्षिणांचल), द्वारा अवगत कराया गया कि बबेरू में निर्मित नए सब-स्टेशन से बिसण्डा नई फीडर लाइन जोड़कर 15 अगस्त तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करा दी जाएगी।
- बन्शी, नौहाई पम्पहाउस में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता (दक्षिणांचल) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सिचाई कार्य हेतु विद्युत पॉवर के दृष्टिगत लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हुई है, संभवतः 30 सितम्बर तक समस्या का निस्तारण स्वतः हो जाएगा।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), अतर्रा द्वारा अवगत कराया गया कि 15 अगस्त 2026 तक बबेरू स्थित नए सब-स्टेशन पॉवर सप्लाई संयोजित कर दी जाएगी जिससे बिसण्डा ग्रामीण (03 नग पम्पहाउस) एवं ओरन ग्रामीण (05 नग पम्पहाउस) पर लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हो जाएगी।

2. अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत विद्युत आपूर्ति सम्बन्धित बिन्दु :-

- अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत बड़ोखर खुर्द पम्पहाउस पर लो वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), द्वारा अवगत कराया गया कि नवाब टैंक के निकट स्थित नए सब-स्टेशन से संयोजित करके लो वोल्टेज की समस्या का 01 सप्ताह के अन्दर निस्तारण कराया जाना लक्षित है।
- अधिशासी अभियन्ता, (वि०/यौ०), जल निगम ग्रामीण द्वारा विद्युत आपूर्ति में बाधा के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 05 नग प्रभावित स्थलों (सहूरपुर, सोनरही, अमलीकौर, बबेरु देहात एवं पतवन) का प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) से अनुमोदन कर कार्यवाही को आगे बढ़ाएं।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), बांदा द्वारा अवगत कराया गया कि मरौली पेयजल योजना की स्वतंत्र विद्युत रेखा से अच्छरौंड ट्यूबवेल के लिए स्वतंत्र विद्युत रेखा का निर्माण कार्य 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

(कार्यवाही अपेक्षित : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बांदा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिणांचल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बांदा, अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट, /अधिशासी अभियन्ता अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।

जल संस्थान की योजनाओं का हस्तांतरण :-

जनपद की ग्रामीण क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा संचालित पेयजल योजनाओं का हस्तांतरण सम्बन्धी कार्यवाही करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), को निर्देश दिए गए कि एक सप्ताह के अन्दर समस्त कार्यवाही पूर्ण करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही अपेक्षित : अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बांदा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

(अमित आसेरी)
जिलाधिकारी
बांदा

कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा

पृष्ठांकन संख्या-

/ दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
- 5- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बांदा।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बांदा / अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को इस निर्देश के साथ कि ग्रामीण पेयजल योजना के संचालन के दौरान उत्पन्न बाधाओं का निस्तारण सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से कराना सुनिश्चित करें।
- 7- मे० एल० एण्ड टी० लि० बांदा / मे० एन०सी०सी० लि०, बांदा को बैठक में दिये गये अक्षरसः अनुपालन कराते हुए पेयजलापूर्ति सुचारु रूप से कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ हेतु।

जिलाधिकारी

बांदा

o/c